प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 26 मार्च, 2015**

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखाशीर्षक- 2401-119-01-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के.75/रा.25-के.+रा.) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रिपरेटरी एक्टीविटीज हेतु धनराशि रू0-68,35 हजार को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2221/विविध/2014-15, दिनांक: 04.03.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजनान्तर्गत प्रिपरेटरी एक्टिविटीज की भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष योजना को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि कुल रूपये 388959 हजार (रूपये अडतीस करोड़ नवासी लाख उनसठ हजार मात्र) में से धनराशि रू0-68,35 हजार (रूपया अडसठ लाख पैतींस हजार मात्र) को निम्न विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने के निमित्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के मिशन निदेशक भी हैं, के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक/ मद का नाम	कोड सं0/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 का प्राविधान (अनुपूरक मांग सहित)	पूर्व में मुख्य योजना हेतु अब तक कुल अवमुक्त धनराशि	प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से मुख्य योजना के लिए अवमुक्त हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित धनराशि
10	2401-फसल कृषि कर्म-	04-यात्रा व्यय	800000	-	200000
		08-कार्यालय व्यय	1500000	-	200000

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	आयोजनागत	09-विद्युत देय	1000000	-	30000
	-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रांश आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के075प्रतिशत/रा025 प्रतिशत - के0+रा0)	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4000000	-	-
		12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1500000	-	1200000
		13-टेलीफोन पर व्यय	800000	-	25000
		15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3000000	-	2000000
		16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9000000	-	830000
		18-प्रकाशन	700000	-	700000
		27-सब्सिडी	344959000	243389867	-
		29-अनुरक्षण	2500000	-	800000
		42-अन्य व्यय	15000000	-	850000
		44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	700000	-	-
		46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2500000	-	-
		47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1000000	-	-
		योग-	388959000	243389867	6835000

(रूपये अड़सठ लाख पैतींस हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश के 75:25 के निर्धारित प्रतिशत के अनुपात में का आहरण करने की कार्यवाही की जाय।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुरूप ही किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा में ही नियंत्रित रखा जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रतयेक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) भण्डार क्रय एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने वाली मदों का पूर्ण विवरण स्वीकृत के प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त समिति की संस्तुति एवं संगत अभिलेखों सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

(9) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव भी इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त संगत प्रस्तावों के मदवार विवरण एवं समस्त अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शासन की अनुमति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित दिनांक-31.03.2015 तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(11) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी भी प्रकार का विचलन हो तो उस मामले का पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014/दस-2014-231/2014, दिनांक- 22.07.2014 में प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अवमुक्त की जा रही है।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-12/380(1)/58-2-2015, तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(4) वित्त नियंत्रक, उ़द्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in